

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2015—फाल्गुन 7, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. 5019-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 26 फरवरी 2015 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१५

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम
(क्रमांक २३ सन्
१९५६) का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा २९३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“ २९३-क. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में हैं, इस अधिनियम के अधीन भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे. ”.

मध्यप्रदेश नगर तथा
ग्राम निवेश
अधिनियम, १९७३
(क्रमांक २३ सन्
१९७३) के उपबंधों
का भूमि के विकास
तथा उपयोग के
नियंत्रण के संबंध में
लागू होना.

(२) धारा २९४ में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित प्रचलित नियमों के अंतर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने कि वह आवश्यक समझे, ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में निगम की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगा. ”.

(३) धारा २९५ में, उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक “ धारा २९१ ” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “ धारा २९१ या २९३-क ” स्थापित की जाएं.

(४) धारा ३०८-क में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“ परंतु प्रकरणों का प्रशमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण, जिसमें नियमितकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा

प्रबंधन के अधीन ली गई अवैध कालोनियों में अप्राधिकृत सन्निर्माण सम्मिलित हैं, के संबंध में, फीस उस दर से तथा उस शर्त पर प्रभारित की जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.”.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

मध्यप्रदेश अधिनियम
(क्रमांक ३७ सन्
१९६१) का
संशोधन.

(१) धारा १८७ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(३क) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अधिसूचित किए गए प्रचलित नियमों के अंतर्गत विहित की गई अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने वास्तुविदों तथा संरचना इंजीनियरों को, जितने कि वह आवश्यक समझे, ऐसे भू-खण्डों के सम्बन्ध में परिषद् की ओर से भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए इस धारा के अधीन परीक्षण करने तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, पंजीकृत तथा प्राधिकृत कर सकेगी.”.

(२) धारा १८७-क में, प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परंतु प्रकरणों का प्रशमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण, जिसमें नियमितकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रबंधन के अधीन ली गई अवैध कालोनियों में अप्राधिकृत सन्निर्माण सम्मिलित हैं, के संबंध में, फीस उस दर से तथा उस शर्त पर प्रभारित की जाएगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.”.

(३) धारा १८७-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“१८७-घ. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ के उपबंध तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के संबंध में हैं, इस अधिनियम के अधीन भूमि के विकास तथा उपयोग के नियंत्रण के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.”.

मध्यप्रदेश नगर तथा
ग्राम निवेश
अधिनियम, १९७३
(क्रमांक २३ सन्
१९७३) के उपबंधों
का भूमि के विकास
तथा उपयोग के
नियंत्रण के संबंध में
लागू होना.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:—

- (१) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २४ राज्य में भूमि के विकास एवं उपयोग पर राज्य सरकार के नियंत्रण के लिए उपबंध करती है। भवन नियंत्रण के संबंध में नगरपालिक अधिनियमों के उपबंध, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए प्रभावी किए गए हैं। अतएव, नगरपालिक अधिनियमों में उपबंधों को समर्थ बनाने के प्रयोजन से, आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं।
- (२) कतिपय आकार तक के भू-खण्डों के लिए भवन अनुज्ञा दिए जाने को सरल बनाने की दृष्टि से, यह प्रस्तावित है कि नगरपालिका की ओर से ऐसी अनुज्ञा देने के लिए निजी वास्तुविद और संरचना इंजीनियर को प्राधिकृत किया जाए। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किए जाने की रीति तथा शर्तें विहित करना भी प्रस्तावित हैं।
- (३) अनुज्ञा के बिना या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुज्ञा के प्रतिकूल भवन निर्माण की प्रशमन की दरों को और सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से, यह प्रस्तावित है कि पृथक् रूप से ऐसी दरों को विहित करने हेतु राज्य सरकार को प्राधिकृत किया जाए।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख १९ फरवरी, २०१५.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०१५ के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उसका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड-२ तथा ३ के द्वारा अपेक्षित अर्हता रखने वाले वास्तुविद एवं संरचना इंजीनियरों के द्वारा भवनों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण का परीक्षण तथा अनुमोदन प्रदान करने की रीति तथा अप्राधिकृत सन्निर्माण के नियमितीकरण हेतु फीस की दर एवं शर्तें विहित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.